राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 19 / 2020 दायर दिनांकः—09.07.2020

पीठासीन अधिकारी—श्री भवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

1. अमरचन्द पुत्र घासी जाति जाट
2. घासी पुत्र हरदीन जाति जाट
3. भंवर लाल पुत्र घासी जाति जाट
4. श्रीमती रतनी पत्नि अमर चन्द जाति जाट
5. श्रीमती सायरी पत्नि भंवरलाल जाति जाट
   सर्व निवासीगण ग्राम रघुनाथपुरा तहसील रूपनगढ़
6. रईस मौहम्मद पुत्र मुख्तार खॉ जाति मुसलमान नि0 परबतसर जिला नागौर (DELETE)

....वादीगण

बनाम

1. पूषा पुत्र हरदीन जाति जाट
2. बलभा पुत्र हरदीन जाति जाट
3. रामचरण पुत्र हरदीन जाति जाट
4. प्रबंधक ,पंजाब नेशनल बैंक शाखा करकेड़ी तहसील रूपनगढ़
5. प्रबंधक, आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा किशनगढ़
6. प्रबंधक, एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा किशनगढ़
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 रा0का0अधि0 1955

दिनांक 07.07.2022

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी 1 लगायत 3 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी वाकै ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का रघुनाथपुरा भू—अ0नि0 क्षेत्र थल तहसील रूपनगढ़ के खाता संख्या पुराना व नया के ख0न0 256 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, ख0न0 257 रकबा 7.5965 है0, ख0न0 258 रकबा 0.0647 है0 , ख0न0 259 रकबा 0.3074 है0, ख0न0 260 रकबा 0.0566 है0, ख0न0 261 रकबा 0.0242 है0, ख0न0 262 रकबा 11.7386 है0 कुल खसरे 7 कुल रकबा 19.8527 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजी वादी संख्या 1 लगायत 5 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की पैतृक कृषि आराजी है। वादी संख्या 1,3,4,5,6 ने सहखातेदारान के हिस्से की आराजी क्रय की गयी है। इस आधार पर संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी है जिसमें वादी संख्या 1 का 3/40 हिस्सा वादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा वादी संख्या 3 का 3/40 हिस्सा वादिया संख्या 4 का 1/80 हिस्सा वादिया संख्या 5 का 1/80 हिस्सा तथा वादी संख्या 6 का 1/40 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा निहित है। वादीगण वाद अधीन आराजी पर अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अपने हिस्से की आराजी से अधिक आराजी पर काश्त करने को उतारू हो जाते है मना करने पर लड़ाई झगड़ा करने को आमादा हो जाते है, इसके बाद भी वादीगण ने दिनांक 11.3.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को कहा कि वाद अधीन आराजी का आपसी सहमति से तहसीलदार रूपनगढ़ के समक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमति से अपने आने वाले हिस्से अनुसार बंटवारा करवाले तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने साफ इन्कार कर दिया हमें कोई बंटवारा नही कराना है हम तो जैसे काश्त करते चले आ रहे है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.08.22 14:05:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उसी अनुसार काश्त करेंगे अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की मन्सा साफ नही होने के कारण आपसी सहमति से वाद अधीन आराजी का बंटवारा नहीं कराना चाहते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 हर साल वाद अधीन आराजी में जो चाहे, जहां चाहे तथा अपने हिस्से में आयी कृषि आराजी पर फसल काश्त करने को उतारू हो जाते है, आपसी भाई वन्द होने के कारण रोज रोज के झगड़े से तो वाद अधीन आराजी का बंटवारा न्यायालय से कराना आवश्यक हुआ है। वादीगण 1 लगायत 5 व प्रतिवादी संया 1 लगायत 3 के मकानात आवादी भूमि में बने हुये है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व उनके परिवारजन आवादी भूमि के अलावा अविभाजित भूमि में जबरन पक्का निर्माण कर रहे है मना करने पर झगड़ा करने को उतारू है। वाद अधीन आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का वंटवारा नाम चौककर नया खसरा कायम कर उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम करने की कृपा करावे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 स्वयं उनके सगे संबंधी नौकर चाकर आदि को स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी से पावन्द करावे की जब तक वाद अधीन आराजी का वंटवारा नहीं हो जाता है, तब तक किसी प्रकार कच्चा पक्का मकान निर्माण नहीं करे व वादीगण के हिस्से में आयी कृषि आराजी के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न पहुचाये, वादीगण को तंग व परेशान न करे आदि से पाबन्द फरमावे, अगर प्रतिवादीगण को पावन्द नही किया गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से मूल्य में सम्भव नही हो सकेगी। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व उनके परिवारजन को स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी से पावन्द करावें कि जब तक वादग्रस्त आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का वंटवारा नहीं होता तब तक किसी प्रकार का कच्चा, पक्का निर्माण मकान दुकान आदि का नहीं करे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 व 7 का सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 6 को सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 7 (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम रघुनाथपुरा की सेग्रीगेशन जमाबन्दी आधार संवत् 2071–74 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 53 में ख0न0 256 रकबा 0.0647 है, ख0न0 257 रकबा 7.5965 है0, ख0न0 258 रकबा 0.0647 है0, ख0न0 259 रकबा 0.3074 है0, ख0न0 260 रकबा 0.0566 है0, ख0न0 261 रकबा 0.0242 है0, ख0न0 262 रकबा 11.7386 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 19.8527 है0 अमरचन्द पुत्र घासी हि0 3/40 (प्रतिवादी सं0 1) सा0 देह खातेदार राहिन पी0एन0बी0 बैंक शाखा करकेड़ी (वादी सं0 4), घासी पुत्र हरदीन 1/5 (वादी सं0 2) जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन पी0एन0बी0, शाखा करकेड़ी (प्रतिवादी सं0 4), पूषा पुत्र हरदीन 1/5 (प्रतिवादी सं0 2) जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0 शाखा किशनगढ़ (प्रतिवादी सं0 6), बलभा पुत्र हरदीन हि0 1/5 (प्रतिवादी सं0 2) जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन आई0 सी0 आई0 सी0 आई बैंक लि0 शाखा सलेमाबाद (प्रतिवादी सं0 5), भंवरलाल पुत्र घासी हि0 3/40 (वादी सं0 3) जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन पी0एन0बी0,शाखा करकेड़ी (प्रतिवादी सं0 4), रईस मौहम्मद पुत्र मुख्त्यारखॉ हि0 1/40 (वादी सं0 6) जाति देशवाली सा0 परबतसर जिला नागौर खातेदार, रतनी पत्नि अमरचन्द हि0 1/80 (वादी सं0 4) जाति जाट सा0 देह खातेदार, [illegible] पुत्र हरदीन हि0 1/5 (वादी सं0 2) जाति जाट सा0 देह खातेदार [illegible] डी0एफ0सी0 बैंक लि0 शाखा किशनगढ़ (प्रतिवादी सं0 6) व सायरी पत्नि भंव[illegible] हि[illegible]80 (वादी सं0 5) जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। [illegible]करण में किसी प्रकार का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया [illegible] 2 की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 [illegible] पर संबंधित [illegible] बयान लिये गये। वादी संख्या 6 द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपना हिस्सा वादी संख्या 4 व 5 को बैचान करने से वादी संख्या 6 को प्रकरण से डिलीट (हटाने) करने के आदेश दिये जाते है। वकील वादी की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.08.22 14:05:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

ने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की जाकर वादी संख्या 1 लगायत 5 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य रिकॉर्ड में निम्नानुसार अंकन करने के आदेश दिये जाते है–

ग्राम–रघुनाथपुरा

क्र0 सं0	नाम खातेदार	ख0 न0	रकबा (है0)	किस्म
1	भंवरलाल, अमरचन्द पुत्र घासी, सायरी पत्नि भंवरलाल, रतनी पत्नि अमरचंद हि0ब0 कौम जाट सा0 खातेदार भंवरलाल, अमरचन्द का हि0 राहिन PNB, शाखा करकेड़ी	257/2 257/7 262/4 262/5	1.1713 0.5261 2.0240 0.0404	का0 चाही का0 चाही बं. 1 बं. 1
		किता 4	3.7618	
2	घासी पुत्र हरदीन कौम जाट सा0 देह खातेदार राहिन PNB, शाखा करकेड़ी	257/3 257/5 262/3	1.1713 0.5261 2.0645	चा–1 चा–1 बं–1
		किता 3	3.7619	
3	पूसा पुत्र हरदीन कौम जाट सा0 देह खातेदार	257/4 257/6 262/7	1.1713 0.5261 2.0644	चा01 चा01 बं01
		किता 3	3.7618	
4	बलभा पुत्र हरदीन कौम जाट सा0 देह खातेदार राहिन ICICI BANK, शाखा सलेमाबाद	257/9 262/2 262/6	1.1712 0.5261 2.0645	चा01 0.6663, का0चाही 0.3898, बा01 0.1151 बं01 बं01
		किता 3	3.7618	
5	रामचरण पुत्र हरदीन कौम जाट सा0 देह खातेदार राहिन HDFC BANK LTD, शाखा किशनगढ़	257/1 262/1 262/8	1.1713 0.5261 2.0645	बा01 बं01 0.2364, बा01 0.2897 बा01 0.7700, बा0A 1-2945
		किता 3	3.7619	
6	भंवरलाल, अमरचंद पुत्र घासी, सायरी पत्नि भंवरलाल, रतनी पत्नि अमरचंद हि0 1/5 हि0ब0 घासी हि0 1/5 पूसा हि0 1/5 बलभा हि0 1/5 रामचरण हि0 1/5 कौम जाट सा0 देह खातेदार राहिन भंवरलाल, अमरचन्द, घासी का हिस्सा राहिन PNB, शाखा करकेड़ी, बलभा का हिस्सा राहिन ICICI BANK, शाखा सलेमाबाद, रामचरण का हिस्सा राहिन HDFC BANK LTD, शाखा किशनगढ़	256 260 261 257/8 262/9 258 259	0.0647 0.0566 0.0242 0.1618 0.3641 0.0647 0.3074	गै0मु0 चाह गै0मु0 चाह गै0मु0 चाह बा01 रास्ता बा01 रास्ता गै0मु0 रास्ता गै0मु0 आबादी
		[illegible]	1.0436	

कमिश्नरी रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस इस अंतिम [illegible] का भाग होगा। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3, उनके परिवारजन, सगे–संबंधी व्यक्ति को इस आ[illegible] की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के हिस्से में आयी भूमि [illegible] में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.08.22 14:05:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)